न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी — विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
सहायक कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नम्बर — 2022 / 151

दर्ज दिनांक — 19.10.2022

1. चरतलाल
2. भरतलाल
3. मीठालाल

पिता कजोडमल

4. जगनी बेवा कजोडमल

समस्त जाति मीना निवासी कांकरिया तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

— (प्रार्थीगण)

बनाम्

1. जगनलाल
2. रामजीलाल

पिता रामसहाय जाति मीना निवासी कांकरिया तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला–दौसा राजस्थान

— (अप्रार्थीगण)

<u>प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :— 1 श्री बी.एल. हाडा (वकील प्रार्थीगण)
2 एकपक्षीय कार्यवाही (अप्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक 30/07/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.09.06 14:55:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कांकरिया तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 225 रकबा 0.7966 हैक्ट. भूमि को वादग्रस्त करार देते हुए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अभिवचन किये है कि प्रार्थीगण एवम अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवम अप्रार्थीगण की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है। जिसमें आधा हिस्सा प्रार्थीगण एवम आधा हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 का है। प्रार्थीगण आधे हिस्से की भूमि को अर्सा 70 वर्षों से काश्त करते

रहे है तथा वर्तमान में भी आधे हिस्से पर प्रतिवादीगण काबिज है। प्रार्थीगण के आधे हिस्से की भूमि पश्चिम दिशा में स्थित है जिसके पुख्ता दिवार व तारबंदी हो रखी है व प्रार्थीगण ने 4 गह पाटोल बना रखी है। आगे प्रार्थीगण के अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 ने राजस्व एजेन्सी से साजकर अपने नाम करवा ली परन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को आधे–आधे हिस्से पर ही काबिज होकर काश्त करते रहे है जो अप्रार्थीगण की सहमति से व जानकारी मे है। प्रार्थीगण टीनेन्सी लागू होने से पूर्व से 70 वर्षो से वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। अप्रार्थीगण के उक्त आधे हिस्से की भूमि से धारा 63 आरटीए के अनुसार अधिकार समाप्त हो चुके है। तथा प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा करवाने के अधिकारी हो गये है। इसी आशय से यह वादपत्र पेश किया है। वादकारण के संबंध में प्रार्थीगण ने अभिवचन किये है कि दिनांक 10.10.2022 को प्रार्थीगण को ऐलानियॉ धमकी दी कि तुम्हे इस जमीन से जबरन बेदखल कर दिवार व पाटोल हटा देगे तथा तुम्हे इस जमीन से बेदख करेगे। इस कारण प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद कारण पैदा होने पर यह दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि है जिसको प्रार्थीगण काश्त करते रहे है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार वास्ता नहीं है। फिर भी अप्रार्थीगण वादीगण के कब्जे काश्त करने में रूकावट पैदा करते है तथा बेदखल करने पर आमादा है। कानूनन अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार अभिवचन करते हुए प्रार्थीगण ने ग्राम कांकरिया तहसील लालसोट स्थित आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 0.7966 में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्सा जो पश्चिम दिशा में है जिस पर प्रार्थीगण ने पुख्ता बाउण्ड्री कर रखी है से प्रार्थीगण को बेदखल न करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी एवम 3 की साधारण रूप से की गई। अप्रार्थियो के बावजूद तामील उपरिथत नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि है जिसको प्रार्थीगण काश्त करते रहे है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार वास्ता नहीं है। फिर भी अप्रार्थीगण वादीगण के कब्जे काश्त करने में रूकावट पैदा करते है तथा बेदखल करने पर आमादा है। 70 वर्षो से काबिज होने के कारण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 के प्रावधान अनुसार अप्रार्थीगण के अधिकार समाप्त हो चुके है। निरन्तर कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.09.06 14:55:49 IST
Reason: SelfAttested

है। कानूनन अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। अत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

हमने विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादपत्र के सन्दर्भ में विधि का भी अध्ययन किया गया। प्रकरण पर निर्णय से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन आधार बिन्दुओं का विनिश्चय किया जाना है। प्रथम दृष्टया :– पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण से यह तथ्य सामने आते है कि वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण ही है प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी के उभयपक्ष की संयुक्त हक की सम्पत्ति होने के केवल मौखिक कथन किये है, बल्कि उक्त कथनों को साबित करने वाले कोई सबूत, साक्ष्य, दस्तावेज पेश नहीं किये है। यदि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है तो किस हैसियत से है, यह साबित करने वाले तथ्य भी प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के विपरित पाया जाता है। सुविधा का संतुलन :– चुँकि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के हक साबित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के हक में प्रतीत नहीं होता है। अपूरणीय क्षति :– चूंकि अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी पर पुख्ता कब्जा होने व चार दीवारी एवम पाटोल होने के कथन किये है किन्तु प्राईमा फैसाई प्रकरण प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही नही उठता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध पाये गये है फलस्वरूप अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायसंगत साबित नहीं हुआ है। जो अस्वीकार योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन एवम् तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र विधि के प्रावधित प्रावधानों के सम्यक् सिद्ध नहीं होने एवम् प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दुओं का प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.09.06 14:55:49 IST
Reason: SelfAttested

विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
सहायक कलेक्टर,लालसोट